

3. प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा-विषय तथा प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :-

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम	
E	डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	विज्ञान तथा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) विषयों के साथ माथि 10+2 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	खण्ड-एक-गणित खण्ड-दो-विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन)	50% 50%
P	डिप्लोमा इन फार्मसी	दो वर्षीय	भारत के राजपत्र संख्या 19, Part-3, Section-4, Chapter-2 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार - 10+2 / इन्टरमीडिएट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवन विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जारी नये नियमों के अनुसार फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण मान्य नहीं होगा।	खण्ड-एक-फिजिक्स, केमिस्ट्री खण्ड-दो-बायोलॉजी या गणित	50% 50%
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी	तीन वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ। (Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination)	रीजनिंग एण्ड लॉजिकल डिस्कशन न्यूमेरिकल एबिलिटी सांख्यिकीक एन्टीट्यूड अंग्रेजी भाषा सामान्य ज्ञान	25% 25% 25% 25%
M	मार्गदर्शन ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्टोरियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रिहेन्सन रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेंसी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस	30% 35% 10% 25%
G	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	-स्नातक उपाधि-	अंग्रेजी कम्प्रिहेन्सन न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग जनरल इन्टेलीजेंसी, जनरल अवेयरनेस	20% 15% 30% 20% 15%
T	1. टेक्साटाईल डिजाइन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये 2. गारमेंट टेक्नोलॉजी 3. फैशन डिजाइन	तीन वर्षीय	हाईस्कूल उत्तीर्ण (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रिहेन्सन रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेंसी जनरल अवेयरनेस	20% 50% 30%
A	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री (आई0टी0आई0/10+2 अथवा 10+व्यवसाय उत्तीर्ण)	दो वर्षीय	1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय) या 2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवसायिक / प्राविधिक विषय उत्तीर्ण) या 3. दो वर्षीय आई0टी0आई0 उत्तीर्ण	हाईस्कूल स्तर की गणित- भौतिकी- रसायन- सामान्य इंजीनियरिंग- (विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक)	40% 20% 20% 20%

नोट :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।
- महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेक्निक/संस्थानों में महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
- हाईस्कूल कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र भी ग्रुप E में एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- ग्रुप- A में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है।

3.3-2 विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी :

विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान "डा० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैंडिकैप्ड, उ०प्र० कानपुर" में स्थापित है। इस संस्थान में आर्कीटेक्चरल असिस्टेंटशिप कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम चल रहे हैं एवं प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता 40 है। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, ₹ 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, ₹ 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफॉर्म प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में भी विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम	इलेक्ट्रॉ० इंजी०	इलेक्ट्री० इंजी०	मैके० इंजी०(प्रो०)	पी०जी०डी०सी०ए०
के० एल० पाली० रुड़की	06 सीटें	06 सीटें	06 सीटें	07 सीटें

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 3 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। डा० अम्बेडकर इंस्टी० फार फिजीकली हैंडिकैप्ड, कानपुर में माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस पाठ्यक्रम में केवल अस्थि विकलांगता से प्रभावित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग है एवं "विकलांगता" की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्था में छात्रों के प्रवेश के पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का ऑकलन संस्था स्तर पर नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा।

3.4 प्रवेश हेतु अनिवार्यता :

- जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो अथवा
- जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों। यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केंद्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदनुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :

- आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली-भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निस्सत माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- प्रवेश के पश्चात संस्था/पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

4. सीटों का आरक्षण :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत है :-

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
ऊर्ध्वधर आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	ST
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	OBC
4.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	NCC

क्षैतिज आरक्षण

5.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFE
6.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	MP
7.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	03 %	PH
8.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	WO

- नोट :**
- जा महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उस उसी वर्ग में हारिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।
 - उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।

राजकीय / महिला / ग्रामीण / सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं० 752-A / XXIV(8)/2010-61/09 दिनांक 8 जून, 2010 द्वारा निर्धारित

शुल्क ढाँचा:-

क्र० सं०	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1	शिक्षण शुल्क	6000.00
2	छात्र निधि शुल्क	3950.00
1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
3	क्रीडा शुल्क	250.00
4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	200.00
6	मेग्जीन शुल्क	100.00
7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
8	विद्युत शुल्क	700.00
9	काॅसन मनी संस्थागत (refundable)	200.00
10	शैक्षिक / औद्योगिक भ्रमण	300.00
11	अनुरक्षण शुल्क	1000.00
12	कम्प्यूटर / इन्टरनेट शुल्क	250.00
13	विकास / भवन विकास शुल्क	300.00
14	पुस्तकालय शुल्क	100.00
15	चिकित्सा शुल्क	0.00
16	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
17	एन०सी०सी० शुल्क	100.00
18	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	छात्रावास शुल्क	2550.00
19	छात्रावास शुल्क	600.00
20	छात्रावास काशन मनी	200.00
21	छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	1000.00
22	छात्रावास विद्युत शुल्क	700.00
23	बर्तन चन्दा	50.00
3	बोर्ड परीक्षा शुल्क	
	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	500.00
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्कूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
	(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
	पुनर्मूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

6. क्रम सं० 55 से 90 तक एवं द्वितीय पाती प्रशिक्षण में क्रम सं० 7 से 19 तक के प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के हैं अतः इन संस्थानों में उपरोक्त स्वीकृत सीटों में से राज्य कोटे एवं मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों का विभाजन शासन के नवीनतम शासनादेश अथवा निर्देशों के आधार पर किये जायेंगे। साथ ही शिक्षण शुल्क भी शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जिसकी जानकारी काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को दी जायेगी।
7. शासनादेश सं० 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 के अनुसार ग्रुप-ए के अनुसार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शासनादेश में दर्शायी गयी शाखाओं में 10-10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें क्रमशः आई0टी0आई0 तथा 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार होंगी।

शासनादेश संख्या— 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक-1

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु आई0टी0आई0 ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र० सं०	आई0टी0आई0 ट्रेड का नाम	अवधि आई0 टी0 आई0 ट्रेड	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फ़िटर	02 वर्ष	हाईस्कूल / समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) * प्राथमिक गणित नहीं	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	टर्नर	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
3.	मशीनिस्ट	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
4.	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनिंग मैकेनिक	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
5.	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
6.	मैकेनिकल मोटर	02 वर्ष	—तदैव—	मैकेनिकल इंजी०	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण	कुल प्रवेश